

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(जे) अलेसे-III / SBC / 305 /

दिनांक :- 24-06-2019

कार्यालय आदेश

सुश्री ज्योति कनिष्ठ लेखाकार(SBC) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी,बून्दी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 26.11.2018 से 13.12.2018 तक कुल (18 दिवस)

दिनांक 31.12.2018 से 04.01.2019 तक कुल (05दिवस)

कुल-18+05=23

उक्त कुल 23 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री ज्योति की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(जे) अलेसे-III / SBC / 305 /

दिनांक :- 24-06-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. कार्यालय कोषाधिकारी,बून्दी ।
2. अतिरिक्त निजी सचिव,निदेशक ।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. सुश्री ज्योति कनिष्ठ लेखाकार (SBC) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी,बून्दी ।
5. रक्षित पत्रावली ।

(शिल्पी कौशिक .)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)